"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 2019 — श्रावण 12, शक 1941

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15–35/15–2/2019/19/20. — सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 06.07.2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि, लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए।

अत्एव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16–ग की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिए पुनर्गठन योजना "जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए।

संलग्न :– पुनर्गठन योजना, 2019

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप–सचिव.

जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(क) यह योजना "जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" कहलाएगी।

(ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

(ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सरगुजा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ :– इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) ।

(ख) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 ।

(ग) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।

(घ) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।

(ङ) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।

(च) "नवीन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।

(छ) "बैंक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर।

(ज) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो.

03 पुनर्गठन की रीति :–

(क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या

(ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या

(ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से; किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :– नियत तिथि से –

(क) "अनुसूची–एक" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।

(ख) "अनुसूची–दो" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।

(ग) "अनुसूची–तीन" के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में

अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. पुनर्गठन की प्रक्रिया :–

(क) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे।

(ख) इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा।

(ग) प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा। रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा। अभ्यावेदन निराकरण के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में रखा जावेगा :–

(एक) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों के समितियों के लिए 1.00 करोड़ रुपये हों।

(दो) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा।

(तीन) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा (घ) अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा।

(चार) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी।

(पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो, अर्थात् एक ग्राम पंचायत व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो।

(छः) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो।

(सात) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो।

(आठ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो।

(नौ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो, जहां पर गोदाम, अन्य आधारभूत संरचना निर्मित हो।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा।

(ङ) अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(च) इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी।

(छ) प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो इस योजना में आवश्यक परिवर्तन, उपान्तरण, संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे।

06. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :–

(क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।

(ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा।

07. रजिस्ट्रेशन/निरसन :–

(क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।

(ख) जहॉ आवश्यक हो वहॉ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

08. **प्रबन्ध** :–

(क) योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहॉ कहीं निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिविरत हो जाएगा तथा सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप/सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे। एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। परन्तु अशासकीय व्यक्ति/व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो।

(ख) नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध,उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा।

(ग) प्रभावित सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का नया निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका (क) में विहित अनुसार नियुक्त किया गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी।

09. **कर्मचारीवृन्द** :–

(क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे।

10. **अधिकार, हित और कर्त्तव्य आदि** :–

(क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्त्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।

(ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्त्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

11. **विवाद** :– इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक/पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा।

12. **आदेश जारी करने की शक्तियां** :– इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय–समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :– अनुसूची – एक, दो एवं तीन

जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019

अनुसूची–एक

क.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	कर्रा	नानदमाली, बड़ादमाली	दरिमा
2	चॉदो	केवरी टपरकेला	लखनपुर
3	कुन्नी	कटिन्दा	लखनपुर
4	सलका	जजगा, मोहनपुर, खोडरी	उदयपुर
5	डांडगांव	सुखरीभण्डर, चकेरी, सरमा, तेन्दुटिकरा	उदयपुर
6	धौरपुर	नवडीहा, दिवरी	डूमरडीह
7	कुन्दीकला	सेमरडीह	धौरपुर
8	बटवाही	राता, कोरिमा, बासा, करदोनी, जमडी	कुन्दीकला
9	ससौली	जरहाडीह, चोरकीडीह	बटवाही
10	कमलेश्वरपुर	केसरा	नर्मदापुर
11	राजापुर	कतकालो	सीतापुर
12	सेदम	रतनपुर, सिलमा	बतौली
13	बरगीडीह	गुजरवार, पसेना	डूमरडीह
		लमगांव	बटवाही

अनुसूची–दो

क.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामो का नाम)
1	2	3	4
1	दरिमा	करजी	करजी, शिवपुर, बरटिकरा, सखौली, आमादरहा, बरकेला, पोडिपा, रेवापुर, कण्डी, खाला, कतकालो, बकालो, सोहगा, कुबेरपुर, जगदीशपुर, सरईटिकरा, नवाबांध, चिताबहरा
2	नमनाकला	खैरबार	खैरबार, मलगावांखुर्द, रनपुरखुर्द, रामनगर, श्रीगढ़, कांतिप्रकाशपुर, मानिकप्रकाशपुर, नावागढ़, पचपेड़ी, मायापुर, मणीपुर, लक्ष्मीपुर, सोनपुरकला, असोला
3	मेन्ड्राकला	सुखरी	सुखरी, रनपुरकला, सोनपुरखुर्द, सपना, कालापारा, फतेहपुर
4	सीतापुर	सरगा	सरगा, गरसा, शिवनाथपुर, गिरहुलडिह, भारतपुर, बेनई, ललीतपुर
		पेटला	पेटला, आरा, रजौटी, हल्दीसांड, धरमपुर, बेलजोरा
5	उदयपुर	केदमा	केदमा, बड़ेगांव, पनगोती, केसमा, बनकेसमा, लालपुर, मरेया, कुडेली, सितकालो, मतरींगा, भकुरमा, बसवार, बुले
6	लखनपुर, अमेरा	जमगला	जमगला, लटोरी, रामपुर, तराजू, उमरोली, कंचनपुर, जयपुर, कोरजा, विनकरा, गुमगराखुर्द, गुमगराकला, परसोडीकला, जोधपुर, बगदर्री
7	अमेरा	निम्हा	निम्हा, खुटिया, लैगा, मुटकी, पथरी, पोतका

अनुसूची–तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसाइटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	कर्रा	नानदमाली, बड़ादमाली	कर्रा	–
2	चॉदो	अलगा	कुन्नी	–
3	सलका	जजगा, मोहनपुर, खोडरी	उदयपुर	–
4	डांडगांव	सुखरीभण्डर, चकेरी, सरमा, तेन्दुटिकरा	उदयपुर	–
5	धौरपुर	सखौली	कुन्दीकला	–
6	कुन्दीकला	सेमरडीह	धौरपुर	–
7	बटवाही	राता	ससौली	–
8	ससौली	जरहाडीह	बटवाही	–
9	कमलेश्वरपुर	केसरा	नर्मदापुर	–
10	राजापुर	कतकालो	सीतापुर	–
11	सेदम	रतनपुर, सिलमा	बतौली	–
12	बरगीडीह	गुजरवार, रीरी	डूमरडीह	–
		उरदरा	ससौली	–

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.